


09.09-25

पत्रावली वैश इई । वकील वादी या वादी स्वंप
उपस्थित नहीं । बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित
नहीं । अतः वादी का वादपत्र अदम पैरगी- अदम हाजिरी
में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है । पत्रावली
बाद तरीक तकमील होकर डाकिल दफ्तर है ।

निर्णय लिखाया जाकर पुले न्यायालय में
सुनाया गया।


(सुनील कुमार चौधन)
R.A.L